न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

जिला रीवा (म0प्र0)

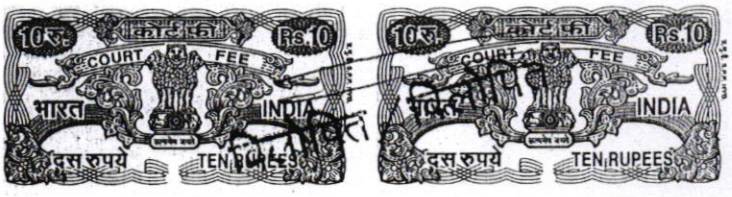

518
1.9.14

Rs 20/-

R - 3369 - III/14

1–सम्पत्ति कुमार तनय श्री सुखदेव राम उम्र 88 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम जोन्ही तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

2– राजभान तनय श्री छोटेलाल उम्र 62 वर्ष पेशा पेन्शनर व खेती निवासी ग्राम जोन्ही तह0 हुजूर जिलारीवा म0प्र0 हाल पता खेतौला बस्ती वार्ड क0 12 तहसील सिहोरा जिला जबलपुर म0प्र0

3– रामसुफल तनय श्री छोटेलाल उम्र 60 वर्ष पेशा पेन्शनर व खेती निवासी ग्राम जोन्ही तह0 हुजूर जिलारीवा म0प्र0 हाल पता विजय नगर छपर तह0 जबलपुर जिला जबलपुर म0प्र0 ––– आवेदकगण / निगरानीकर्तागण

बनाम

1– राजाराम तनय श्री सुखदेव राम उम्र 90 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम जोन्ही तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

2– धनवन्ती देवी पत्नी श्री ठाकुर प्रसाद उम्र 75 वर्ष पेशा घरूकार्य व खेती निवासी ग्राम जोन्ही तह0 हुजूर जिलारीवा म0प्र0

3– अंगद प्रसाद तनय श्री ठाकुर प्रसाद उम्र 50 वर्ष

4– अशोक कुमार तनय श्री ठाकुर प्रसाद उम्र 45 वर्ष

5– रावेन्द्र कुमार तनय श्री ठाकुर प्रसाद उम्र 40 वर्ष

6– प्रवीण कुमार तनय श्री ठाकुर प्रसाद उम्र 30 वर्ष

पेशा खेती सभी निवासी जोन्ही तह0 हुजूर जिलारीवा म0प्र0

7– श्रीमती मीरा पुत्री स्व0 अमोल प्रसाद उम्र 31 वर्ष पत्नी श्री चन्द्रमणि प्रसाद त्रिपाठी निवासी ग्राम पिपरहा तह0 सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 हाल मुकाम टी0डी0एस0 कालोनी जे0पी0. नगर नौबस्ता जिला रीवा म0प्र0

8–अनूप कुमार तनय स्व0 अमोल प्रसाद उम्र 27 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम जोन्ही तह0 हुजूर जिलारीवा म0प्र0

प्रवीण पाण्डेय द्वारा आज दिनांक 01.9.14 प्रस्तुत किया गया। क्रमांक 3065 रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ______ को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

9– रजनीश कुमार तनय स्व0अमोल प्रसाद उम्र 24 वर्ष पेशा प्राइवेट नौकरी व खेती निवासी ग्राम जोन्ही तह0 हुजूर जिलारीवा म0प्र0

10– म0प्र0 राज्य द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा ज़िला रीवा म0प्र0

--- अनावेदक गण / गैरनिगरानीकर्ता गण

निगरानी विरूद्व आदेश अपर आयुक्त महोदय, रीवा के राजस्व प्रकरण क0 439 /अपील /06–07 के आदेश दिनांक 05–07–14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0स0 1959 ई0

—3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3369/ तीन/ 2014 जिला रीवा सम्पत्ति कुमार / राजाराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23 07-2018	आवेदक अधिवक्ता श्री सूर्यनाथ पाण्डेय तथा अनावेदकों की ओर से लिखित तर्क एवं वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थित हुए-अधिवक्ता श्री तरूण पाण्डेय द्वारा अनावेदक क्र0-1 के वारिसाना-आवेदन पर तथा अंतिम रूप से व्यक्त किये गये तर्कों पर मनन किया । विचारोपरांत अनावेदक क्र0-1 के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाता है, आवेदक अधिवक्ता आवेदन अनुसार तत्काल आवश्यक संशोधन करें । 2- प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि आवेदकगण संपत्तिकुमार वगैरह द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त बनकुइया के रा0प्र0क्र0 789/बी-121/05-06 एवं रा0प्र0क्र0129/बी-121/02-03 में पारित आदेश दि0 22/07/06 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17-01-07 को आदेश पारित करते हुए नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त कर अपील को स्वीकार किया, तत्पश्चात राजाराम वगैरह द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की जो प्र0क्र0 439/अपील/06-07 पर दर्ज की जाकर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 05-07-14 को आदेश पारित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया तथा नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दि0 05-09-02 तथा दि0 22-07-06 को यथावत रखा गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित इसी आदेश के	

विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3- प्रकरण में प्रस्तुत आवेदक के तर्को पर विचार किया गया । उनका मुख्य तर्क है कि वर्ष 1951 में सुखदेवराम की मृत्यु हो जाने के उपरांत उनके वारिसांन ठाकुरप्रसाद, छोटेलाल, संपत्तिकुमार, व राजाराम का नाम वारिसाना नामांतरण हुआ था । वर्ष 1981 में आपसी बटवारा हो जाने से संपत्तिकुमार को 1/2 हिस्सा तथा छोटेलाल 1/2की मृत्यु होने से राजभान, रामसुफल, व अमोल प्रसाद को हिस्सा प्राप्त हुआ, राजाराम व ठाकुरप्रसाद को इन आराजियों पर हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ था बल्कि इन आराजियों के एवज में उन्हें अन्य आराजियां प्राप्त हुई थी । राजभान, रामसुफल, अमोलप्रसाद को आदेश दिनांक 24-10-86 के अनुसार नायब तहसीलदार सर्किल बनकुइयां के द्वारा 1/2 हिस्से का नामांतरण स्वीकार हुआ और दि0 06-01-88 को सम्पत्ति कुमार के हक में 1/2 स्वीकार हुआ इस नामांतरण होने के बाद वादग्रस्त आराजी पर राजभान, रामसुफल,अमोलप्रसाद 1/2 हिस्से पर काबिज हो गया और 1/2 हिस्से पर सम्पत्ति कुमार 06-01-88 के आदेश के अनुसार काबिज हो गये ।

4- उनके द्वारा यह भी तर्क दिया कि रामनिवास एवं अन्य द्वारा व्यवहारवाद क्र0 491ए/94 द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 रीवा के न्यायालय में दायर किया और उनका दावा खारिज हो गया और दावा खारिजी होने के बाद दि0 05-09-02 को नामांतरण के लिये दावा दायर किया और वादग्रस्त आराजियतों में 1/2 हिस्से के बजाय 1/4 का नामांतरण मात्र व्यवहार वाद क्र0 491ए/94 में मात्र प्रतिवादी होने के कारण राजस्व अभिलेखों में दिनांक 05-09-02 के आदेश से करा लिया लेकिन इसकी इत्तलावी नहीं कराई और उसे छिपा कर रखे रहे और अन्ततः वर्ष 2006 में इत्तलावी दर्ज होने पर आवेदकगण द्वारा

आवेदन-पत्र तहसील न्यायालय में दिया जिस पर दि0 22-07-06 को नायब तहसीलदार द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि सक्षम अधिकारी के यहां अपील की जा सकती है इसके उपरांत आवेदकगण ने अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसमें उनके द्वारा पारित आदेश के अनुसार अपील स्वीकार की गई तथा निम्न न्यायालय का आदेश दि0 05-09-02 एवं 27-06-06 का आदेश निरस्त किया गया है । तदोपरांत अनावेदकों द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अपर आयुक्त द्वारा 05-07-14 को आदेश पारित करते हुए स्वीकार किया गया तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए नायब तहसीलदार द्वारा पारित दोनों आदेशों को बहाल रखा गया । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी दिया गया कि अधिनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश, विधि एवं उसकी प्रक्रिया के विरूद्ध है क्यों कि नायब तहसीलदार का आदेश दि0 05-09-02 एवं दि0 22-07-06 को क्यों यथावत रखा गया है यह स्पष्ट नहीं है । टंकण त्रुटि को सुधार करने मात्र से आदेश सही नहीं हो जाता है । अंत में उनके द्वारा तर्क दिया कि अपर आयुक्तद्वारा निर्णय लेने में भूल की गई है इसलिये उनका आदेश निरस्त किया जावे तथा निगरानी स्वीकार की जावे ।

5- अनावेदक अधिवक्ता तर्क दिया गया कि निगरानीकर्त्ता ने जो तथ्य उठाये है वह पूरी तरह से गलत है क्योंकि उभय-पक्ष के मध्य वादग्रस्त भूमि के खसरा क्र0 26,28,34,361,362 स्थित ग्राम-भोलगढ के संबंध में माननीय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के यहां सिविल वाद क्र0 49ए/94 पारित डिक्री दि0 23-03-99 पूरी तरह से प्रतिवादीगण के पक्ष में है और यह अंतिम डिक्री है जो उभय-पक्ष पर बंधनकारी है उक्त डिक्री के पैरा 5 में टंकण त्रुटि हो जाने से खसरा क्र0-26 के

स्थान पर 36 दर्ज हो गया था जिसमें सुधार किये जाने बावत धारा 152 सी0पी0सी0 का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे माननीय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 द्वारा विविध प्र0क्र0 7/07 में दिनांक 02-04-07 को आदेश पारित कर खसरा क्र0 36 के स्थान पर 26 पढे जाने का संशोधन आदेश पारित कर दिया । इस तरह वह खसरा क्र0 26 हो गया और तहसीलदार नेअपने नामांतरण आदेश दि0 05-09-02 में खसरा क्र0 26 का ही नामांतरण आदेश पारित किया गया है । उनके द्वारा यह तर्क भी दिया है कि सिविल न्यायालय की डिक्री के आधार पर तहसीलदार ने दि0 05-09-02 का जो आदेश पारित किया है उसे देखने की अधिकारिता केवल सिविल न्यायालय को ही है, यह डिक्री राजस्व न्यायालय पर भी बंधनकारी है । अंत में उन्होने तर्क दिये कि निगरानीकर्त्ता की निगरानी सव्यय निरस्त की जावे ।

6- मेरे द्वारा प्रकरण अवलोकन किया तथा आलोच्य आदेश का परीक्षण किया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में विस्तृत विवेचना की गई है, उनके द्वारा किये गये विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सिविल कोर्ट की डिक्री के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा दि0 05-09-02 को नामांतरण आदेश पारित किया गया है । मूल व्यवहार वाद क्र0 491/ए/94 में पारित आदेश दि0 23-03-99 की कण्डिका -5 में खसरा नंबर गलत लिख जाने से इस टंकण की त्रुटि को सुधारे हेतु सिविल कोर्ट द्वारा सी0पी0सी0 की धारा 152 के प्रावधान के तहत संशोधन किया जाकर खसरा क्र0 36 के स्थान पर 26 पढे जाने का आदेश पारित किया गया है, यह आदेश उभय-पक्ष की उपस्थिति में पारित किया गया है । विद्वान अनुविभागीय अधिकारी ने पक्षकारों को सुनवाई का अवसर न दिये जाने को आधार मानकर उपरोक्त इत्तलावी आदेश निरस्त किया गया है जो विधिसंगत नहीं होकर त्रुटिपूर्ण है ।

व्यवहार न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है । ऐसी स्थिति में नायब-तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-09-02 एवं 22-7-06 विधिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य है, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सही वैधानिक स्थिति का आंकलन किये बगैर आदेश दि0 17-01-07 पारित किया गया है जिसे निरस्त किये जाने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दि0 05-07-14 वैधानिक होने से स्थिर रखा जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर का आदेश दि0 17-01-07 निरस्त किया जाता है एवं नायब-तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दि0 05-09-02 तथा दि0 22-07-06 यथावत रखे जाते है । फलस्वरूप निगरानी निरस्त की जाती है ।

23/7/18

(रवीन्द्र कुमार मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर